बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक 25.3.11 2011

संख्या–7/स्था0–1–15–04/2010/सा0प्र0 3336 परिवार न्यायालय अधिनियिम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियिम संख्या–66, 1984) की धारा–23 सह पठित धारा–4,5, एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भः– (1) यह नियमावली "बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011" कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी

2. परिभाषायें ।– (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984.

(ख) "भारत का नागरिक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो भारत संविधान के भाग दो के अधीन, भारत का नागरिक हो या समझा जाय, (ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार, बिहार ;

(ङ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय, पटना ;

(च) "पद" से अभिप्रेत है न्यायाधीश का पद ;

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा; तथा

(ज) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होंगे जो परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हैं ।

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति – (1) किसी न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न प्रकार की जायेगी:–

(क) बिहार, उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी सदस्य की या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने 7 वर्ष तक किसी प्राधिकरण का सदस्य पद या संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा वाला कोई भी पद धारण किया हो, की प्रतिनियुक्ति द्वारा, या

(ख) सेवानिवृत्त सदस्य या खंड (क) में निर्देशित किसी व्यक्ति की पुनः नियुक्ति द्वारा, या

(ग) अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन पात्रता प्राप्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ, पटना उच्च न्यायालय, पटना पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और उच्च न्यायालय के उतने न्यायाधीशों की, जितना वह उचित समझे, एक समिति नियुक्त करेगा । इस प्रकार नियुक्त समिति प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की जॉच करेगी एवं ऐसे आवेदकों का, जो उपयुक्त समझे गये हों, साक्षात्कार करेगी और अपनी सिफारिश उच्च न्यायालय के समक्ष रखेगी । तदुपरान्त उच्च न्यायालय नियुक्ति करने के लिए अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा :

परन्तु वाह्य स्त्रोत से ऐसी नियुक्ति विरल अवसर पर तभी विचारणीय होगी जब बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा का कोई भी पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो । साथ ही यह अपवादस्वरूप, पूर्णतः अनुबंध आधारित एवं एक नियत अवधि के लिए होगी, जिसकी सेवा की शर्तें अलग से तय की जायेगी ।

4. <u>न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते निर्बधन और शर्तें ।</u>– (1) नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश की सेवा के निबंधन और शर्तें:–

(क) यदि ऐसा न्यायाधीश बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा का हो, तो उसकी सेवा शर्तें उस सेवा के सदस्यों पर लागू नियमों द्वारा विनियमित होंगी :

परन्तु ऐसे न्यायाधीश के वेतन और भत्ते वही होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर गये जिला न्यायाधीश के लिए अनुज्ञेय हों और उसकी सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, और

(ख) यदि ऐसा न्यायाधीश बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा से भिन्न किसी सेवा का हो तो उस सेवा के सदस्यों पर लागू नियमों से ही उनकी सेवा शर्तें विनियमित होगी :

परन्तु ऐसे न्यायाधीश के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो बिहार सेवा नियमावली के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर गये किसी अधिकारी के लिए लागू होते हैं और उनकी सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किसी न्यायाधीश की सेवा के निर्बधन और शर्तें वही होगी, जो बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी सदस्य पर लागू होती है, और उसे वही वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, जो उस सेवा के किसी प्रवर कोटि के सदस्य को अनुज्ञेय हों । न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने पर, उसका वेतन उस सेवा के प्रवर कोटि वेतनमान के न्यूनतम मान पर नियत किया जायेगा ।

(3) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व और 62 वर्ष की वय प्राप्त कर लेने के पश्चात्, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(4) यदि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन सेवा में था तो वह, अपने मूल विभाग में लागू अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, सेवानिवृत्त समझा जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार उसे, उच्च न्यायालय की सहमति से, न्यायाधीश के पद पर दो से अनधिक वर्ष की ऐसी अवधि के लिए पुनः नियुक्त कर सकेगी, जिसे 62 वर्ष की आयु तक और बढ़ाया जा सकेगा । वह, अपनी पुनः नियुक्ति होने पर, वही वेतन और भत्ता प्राप्त करेगा, जो बिहार सेवा नियमावली के उपबंधों के अनुसार किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय हो ।

(5) बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को, जिसने अधिवर्षिता की वय प्राप्त कर ली हो, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो से अनधिक वर्ष की ऐसी

अवधि के लिए पुनः नियुक्ति की पात्रता प्राप्त होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय की सहमति से, 62 वर्ष की आयु तक और बढ़ाया जा सकेगा । अपनी पुनर्नियुक्ति पर वह वही वेतन और भत्ता प्राप्त करेगा, जो विधि के अनुसार किसी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय हो ।

(6) बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा या अन्य सेवा के सदस्यों से अन्यथा नियुक्त व्यक्ति का पेंशन अंशदायी पेंशन नियमावली अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिनियमित किसी अन्य पेंशन नियमावली द्वारा शासित होगा ।

(7)पटना उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश का, बिहार राज्य में एक परिवार न्यायालय से दूसरे परिवार न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकेगा ।

(8)परिवार न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे ।

(9) परिवार न्यायालय के न्यायाधीश की पोशाक जिला एवं संत्र न्यायाधीश के समान होगी ।

(10) परिवार न्यायालय के भवनों और उसके कार्यालयों के अनुरक्षण की देख–भाल उस जिले के सिविल न्यायालय के निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश द्वारा की जायेगी ।

(11)(i) फीस के शीर्ष को सम्मिलित करते हुए सभी शीर्षों में निधि का आवंटन और विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं या न्यायमित्रों को दिया जाने वाला मानदेय परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को उपलब्ध कराया जायेगा और प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा प्रचलित नियमों

के अनुसार संधारित किया जायेगा तथा निबंधक अथवा जजशीप के प्रभारी न्यायाधीश द्वारा पृथक रूप से कार्यान्वित किया जायेगा।

(ii) निबंधक अथवा प्रभारी न्यायाधीश परिवार न्यायालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

(iii) मुख्यालय में पहले से विद्यमान एवं जजशीप के अतिरिक्त बाहर स्थापित परिवार न्यायालय के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निबंधक अथवा प्रभारी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित एवं अधिकृत पदाधिकारी भी परिवार न्यायालय के संबंध में सभी प्रयोजनों के लिए उस रूप में कार्य करेंगे ।

(iv) प्रधान न्यायाधीश का पद रिक्त रहने अथवा प्रधान न्यायाधीश की अपनी अनुपस्थिति या अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निर्वहन करने में असमर्थ रहने की दशा में, परिवार न्यायालय में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, यदि कोई हो, प्रधान न्यायाधीश के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(v)परिवार न्यायालय के रिक्त रहने की दशा में जजशीप के जिला न्यायाधीश परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के सभी कृत्यों के निर्वहन करने हेतु प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे ।

(12) परिवार न्यायालय जिला सिविल न्यायालय के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यथाघोषित छुट्टियों एवं अवकाश का अनुपालन करेगा ।

(13) परिवार न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को प्रतिमाह एक सौ लीटर पेट्रोल अथवा वास्तविक उपभोग में लाया गया पेट्रोल, जो भी कम हो, के साथ एक स्टाफ कार मुहैया

किया जायेगा। सिविल न्यायालय के स्टाफ कार के रख–रखाव के लिए मंजूर की गयी राशि के समतुल्य राशि परिवार न्यायालय के स्टाफ कार के रख–रखाव के लिए मंजूर की जायेगी ।

(14) परिवार न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश पर लागू नियमानुसार, आवास और न्यायालय परिसर के न्याय प्रकोष्ठ में दूरभाष मुहैया किया जायेगा ।

(15) प्रत्येक परिवार न्यायालय से संलग्न एक पुस्तकालय होगा और पुस्तकालय में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए वार्षिक अनुदान मंजूर किया जायेगा ।

5. **आवेदन पत्रों का दाखिल किया जाना ।**–

(1) उपनियम (2) द्वारा शासित को छोड़कर पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित सिविल न्यायालय नियमावली के नियम 212 और नियम 214, जहां तक उपर्युक्त नियमावली के अधीन वादों या कार्यवाहियों पर वे लागू होते हों, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु नियमावली के अधीन दाखिल किये गये सभी आवदेनों की अंतर्वस्तुओं का सत्यापन आवेदक द्वारा एक प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया जायेगा कि वे आवेदक के विश्वास एवं जानकारी में सत्य हैं ।

(2) दंड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अध्याय X के अधीन आवेदन अथवा अर्जी परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपर्युक्त उस अध्याय X द्वारा उपबंधित रीति से निपटाया जायेगा ।

(3) परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस और सम्मन सिविल न्यायालय के नजारत के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गये सुसंगत नियमों के अनुसार तथा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश ट द्वारा की गयी रीति से भी तामील किये जायेंगे ।

6. **अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निर्बधन एवं शर्तें ।**–

(1) परिवार न्यायालय को उतनी संख्या में तथा उस कोटि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उपबंध किया जायेगा, जो इस स्तर के न्यायालय के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(2) परिवार न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति सामान्यतः जिला सिविल नयायालय में लागू नियमों के अनुसार अथवा जिला सिविल न्यायालय से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।

(3) ऐसे मामले में, जहाँ जिला नयायाधीश परिवार न्यायालय के कार्यालय को किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रतिनियुक्त करने में असमर्थ हो वहाँ, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश बिहार सिविल न्यायालय स्टाफ (वर्ग–3 एवं 4) नियमावली, 1998 में उपबंधित नियुक्ति की रीति के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के परामर्श से अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे ।

(4) परिवार न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ता और सेवा के अन्य निर्बधन और शर्तें सिविल न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समान होंगी ।

7. **चिकित्सा विशेषज्ञ ।**– (1) परिवार न्यायालय अपने कर्तव्यों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राप्त कर सकेगा ।

(2) ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञ को परिवार न्यायालय में अपनी विशेषज्ञ राय/साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ प्रतिदिन दो सौ पचास की समेकित रकम दी जायेगी,

परन्तु चिकित्सा विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञ, जो स्थानीय नहीं हो, को सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने के लिए, यथास्थिति, सरकारी अथवा गैर–सरकारी साक्षियों को अनुज्ञेय दर से यात्रा भत्ता को भी प्राथमिकता के आधार पर उसी दिन या किसी भी दशा में उसी माह में भुगतान किया जायेगा । उपर्युक्त फीस समय–समय पर तथा कम–से–कम पॉच वर्षों के बाद पुनरीक्षणीय होगी ।

8. **न्याय–मित्र ।–** (i) परिवार न्यायालय का न्यायाधीश, समुचित मामले में, न्यायालय की सहायता के लिए 7 वर्षों से अन्यून अनुभव प्राप्त किसी अधिवक्ता को न्याय–मित्र के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(ii) न्याय–मित्र, सिविल न्यायालय में कार्यरत अतिरिक्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजन को ऐसी भुगतान को शासित करने वाली अभिभावी नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञेय फीस का हकदार होगा ।

9. **परामर्शदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति।–** (1) राज्यसरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, विनिर्दिष्ट जिला या क्षेत्र के लिए संस्थाओं, संगठनों और समाज कल्याण के क्षेत्र तथा परिवार के कल्याण की अभिवृद्धि करने में प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिला या क्षेत्र के परिवार न्यायालय से सहयुक्त करने या उसकी सहायता करने में लगे हुए या कार्यरत व्यक्तियों का (महिलायों को प्राथमिकता देते हुए जहॉ उपलब्ध हों) एक पैनेल विनिश्चित तथा अधिसूचित करेगी । ऐसे निश्चय के लिए समुचित संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार के कल्याण विभाग से तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों से भी, जो संबंधित जिला न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से अनुशंसा करेगी, प्राप्त किये जायेंगे । अधिसूचित पैनेल, उच्च

न्यायालय के परामर्श से, जो इस प्रयोजनार्थ, संबंधित परिवार न्यायालय के प्रतिवेदन पर विचार कर सकेगा, राज्य सरकार द्वारा नामों के अपवर्जन या समावेश द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित या उपांतरित किया जा सकेगा ।

(2) तीस वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(3) न्यायालय, उप निधम (1) के अधीन अधिसूचित अधिकृत व्यक्तियों की सूची से, एक परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा ।

(4) ऐसा परामर्शदाता, यदि न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट वाद या कार्यवाही में अनुमति दी जाय तो, कल्याण विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय की सहायता इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में करेगा ।

(5) न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिए परामर्शदाता को कोई भी कार्य सौंप सकेगा ।

(6) परामर्शदाता अथवा इस नियम के उप नियम (3) के अधीन सहायक किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रति मामला सिर्फ सात सौ पचास की रकम मानदेय के रूप में प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्वविवेक से विनिश्चित किये जाने वाले समुचित प्रकम पर किन्तु किसी भी दशा में निर्णय पारित होने के पूर्व दी जा सकेगी । ऐसा मानदेय समय–समय पर और कम–से–कम प्रत्येक पॉच वर्षो के बाद पुनरीक्षणीय होगा ।

11. **परामर्शदाताओं के कर्त्तव्य एवं कृत्य ।**– (i) परामर्शदाता विवादों को निपटाने में न्यायालय की सहायता करेगा और पक्षकारों को सलाह देगा तथा वह पक्षकारों के बीच सुलह कराने हेतु भरसक प्रयत्न करेगा ।

(ii) परामर्शदाता किसी भी पक्षकार के घर जा सकेगा और उनके बीच विवादों के निपटारे के संबंध में उनके संबंधियों, मित्रों, परिचित व्यक्तियों या कर्मचारियों का साक्षात्कार ले सकेगा ।

(iii) कोई भी परामर्शदाता परिवार न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्त्तव्यों के संबंध में एकाकी महिला के घर नहीं जायेगा ।

(iv) परामर्शदाता द्वारा संग्रह की गयी प्रत्येक जानकारी, परामर्शदाता के समक्ष दिया गया प्रत्येक कथन और परामर्शदाता द्वारा तैयार किया गया प्रत्येक टिप्पणी या प्रतिवेदन गोपनीय रहेगा और वाद या कार्यवाही के दोनों पक्षकारों की पूर्व सहमति एवं परिवार न्यायालय की अनुमति के सिवाय किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा ।

(v) कोई परामर्शदाता किसी न्यायालय में ऐसी जानकारी, कथन, प्रतिवेदन या टिप्पणी के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा ।

(vi) किसी वाद या कार्यवाही में, यदि परिवार न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो, तो परामर्शदाता संबंधित परिवार के घर के वातावरण, पति–पत्नी और उनके बच्चों के संबंधों, आय तथा रहन–सहन के स्तर से संबंधित प्रतिवेदन सुपुर्द कर सकेगा ।

(vii) परामर्शदाता पक्षकारों के बीच विवाद के शांति एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए किये गये सुलह के अपने प्रयत्नों के संबंध में अपना प्रतिवेदन सुपुर्द करेगा ।

सुलह की असफलता की दशा में किसी पक्षकार को दोषारोपित किये बिना प्रतिवेदन विषयनिष्ठ होगा । किसी भी पक्षकार को ऐसे प्रतिवेदन पर अपना निवेदन करने का अधिकार होगा ।

(ix) परामर्शदाता पुनर्मिलापित पक्षकारों को, उनके बीच शांतिपूर्ण निपटारा हो जाने के बाद भी, परामर्श, मार्गदर्शन एवं सहायता दे सकेगा

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–15–04 / 2010 / सा0प्र0 3336 पटना,15 दिनांक 25.3.11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारवाग पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0सहित) को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. कृप्या अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–15–04 / 2010 / सा0प्र0 3336 पटना,15 दिनांक 25.3.11

प्रतिलिपिः–महालेखाकार,बिहार,पटना / महानिबंधक,उच्चन्यायालय,पटना / सभीविभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य सचिव के सचिव, बिहार / मैनेजर (आई0टी0) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अ धि सू च ना ।।

पटना, दिनांक 25.3.11

एस0ओ0 –7/स्था–1–15–04/10 3337 दिनांक 25.3.11 का अंगेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(संचिका सं0–7/स्था–1–15–04/10)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के पधान सचिव, बिहार ।

GOVERNMENT OF BIHAR

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Patna, dt 25.3.11

S.O 3336 In exercise of the powers conferred by Section 23 read with Sections 4,5 and 6 of the Family Courts Act, 1984 (Central Act No. 66 of 1984), the Governor of Bihar, in consultation with the Patna High Court,Patna is hereby pleased to make the following Rules :-

1. Short title, extent and commencement:-
   (1) These Rules may be called "The Bihar Family Courts Rules, 2011"
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Definition: In these Rules, unless the context otherwise requires:-
   (a) 'Act' means the Family Courts Act, 1984;
   (b) ' Citizen of India' means such person, who is or is deemed to be a Citizen of India; under part-2 of the Constitution of India.
   (c) 'Governor' means the Governor of Bihar.
   (d) 'Government' means the State Government of Bihar
   (e) 'High Court' means the Patna High Court, Patna.

(f) 'Post' means the Post of Judge;
(g) 'Section' means the Section of the Family Courts Act, 1984;
(h) Words and expressions used but not defined in these Rules will have the same meanings which are assigned to them in the Family Courts Act, 1984.

3. **Appointment of Judges :-**

(1) Appointment of a judge shall be made :-
(a) by deputation of member of the Bihar Superior Judicial Service or of a person who has held for 7 years the office of a member of a Tribunal or any post under the Union Government or State Government, requiring special knowledgte of law, or
(b) by re-appointment of a retired member or a person referred to in clause (a); or

(c) by appointment of a person eligible under clauses (b) and (c) of sub-Section (3) of Section- 4 of the Act.

(2) For the purpose of making an appointment under clause (c) of sub-rule (1), the Patna High Court, patna shall invite applications from eligible candidates and appoint a Committee of such number of judge of the High Court as it may think proper. The Committee. so appointed. shall scrutinise the applications received. interview such of the applicants as are thought proper and place its recommendations to the High Court. The High Court Shall there Upon send its recommendations to the State Government for making such appointments;

Provided that appointment of the post of principal Judge, Family Court from external sources would only be considered on rare occasion, if there is no one available from the Bihar Superior judicial Service. Such an appointment would be an exception rather that the Rule. If such appointment is made, it would be purely of contractual nature for a fixed term. The terms of service will be negotiable.

4. Salary, allowances and other terms and conditions of judges:-

(1) The terms and conditions of service of a Judge appointed by deputation under clause (a) of sub-Rule (1) of Rule 3 shall:-

(a) If such Judge belongs to the Bihar Superior Judicial Service be regulated by the Rules applicable to the members of the service.

Provided that the pay and allowances of such Judge shall be as are admissible to a District Judge on deputation and his service conditions shall not be varied to his desadvantage after such appointment, and

(b) If such Judge belongs to a service other than the Bihar Superior judicial Service, be regulated by the Rules applicable to the members of that service.

Provided that the pay and allowances of such Judge shall be as are applicable to an Officer on deputation under the provisions of the Bihar Service Rules and his Service conditions shall not be varied to his disadvantage after appointment.

(2) The terms and conditions of Service of a Judge appointed under clause (c) of Sub-rule (1) of Rule 3 shall be the same as are applicable to a member of the Bihar Superior Judicial Service and shall be paid such pay and allowances as admissible to a selection grade member of that service. On his appointment as Judge, his pay will be fixed at the minimum Scale of Selection Grade of that service.

(3) No person shall be appointed as Judge before he has attained the age of 35 years and after he has attained the age of 62 years.

(4) If any person appointed as a Judge was in service under the Central or State Government he shall, on completion of age of Superannuation applicable in his parent Department, stand retired from the Service.

Provided that the State Government may, with concurrence of the High Court, re-appoint him on the post of a Judge for a period not exceeding two years, which can be further extended, but not beyond the age of 62 years. On his re-appointment, He will get the Salary and Allowances as admissible to a retired Government Servant on his re-appointment as per provisions of Bihar Service rules.

(5) Any member of the Bihar Superior Judicial Service who has reached the age of superannuation will be eligible for re-appointment as a Judge of the Family Courts for a period not exceeding two years, which can further be extended, but not beyond the age of 62 years, by the State Government with the concurrence of the Hight Court. On his re-appointment, he will get salary and allowances as are admissible to a retired Government Servant as per Law.

(6) The pension of a person appointed otherwise than from members of Bihar Superior Judicial Services or other Service shall be governed by the contributory Pension Rules' or any other Pension Rule enacted by the State Government from time to time".

(7) The Hight Court may transfer any Judge from One Family Court to another such Court in the State of Bihar.

(8) The Judge of Family court shall work under administrative control and superintendence of the High Court.

(9) The Dress of a Judge of Family Court Shall be similar to that of District and Session Judge.

(10) The maintenance of the Court building of Family Courts and its office shall be looked after by the Registrar/Judge-in-Charge of Civil Court of that District.

(11) (i) The allotment of fund on all heads including heads of fees and honoraria to be paid to experts, counsellors or amicus curae shall be made available to the Principal Judge of the Family Court and the accounts of receipts and expenditure shall be maintained as per prevailing Rules and practices by the Registrar or the Judge-in-Charge of the Judgeship separately.

(ii) The Registrar or the Judge-in-Charge shall be drawing and disbursing officer in respect of the officers and employees of the Family courts.

(iii) In case a Family Court is extablished outside in addition to the one already existing at the headquarters of the Judgeship, in officers posted at the outlying station and authorized to act as the Registrar or Judge-in-charge there by the District and Session Judge, Shall also act as such for all purposes in respect of the Family Court.

(iv) In case of the office of the Principal Judge, lying vacant or in case the Principal Judge is unable to discharge his function due to his absence or illness or for any other cause, the Additional Principal Judge, if any posted in the Family Court, Shall discharge the functions of the Principal Judge.

(v) In case the Family court is lying vacant, the District Judge of the Judgeship shall act as the Principal Judge to discharge all the functions of the Principal Judge of the Family Court.

(12) The Family Court shall observe holidays and vacation as declared by the High Court for civil Courts.

(13) A Staff Car shall be provided to each Judge of Family courts with 100 liters of petrol per month, or actual consumption of petrol which ever is less. An amount equal to the amount sanctioned for maintenance of a Staff Car or Civil Court shall be sanctioned for maintenance of the Staff Car of Family Courts.

(14) Every Judge of Family Court shall be provided Telephone at the residence and in Chamber in Court premises as per Rule applicable to District Judge.

(15) A Library shall be attached with every family Court and an annual grant shall be sanctioned for books, and Journals in the Library. Seristedar of Family Court shall be Incharge of Library.

5. **Filing of Application:-**

(1) The filing of all applications except those governed by Sub-rule (2), shall be governed by Rule 212 and Rule 214 of the Civil Court Rules framed by the High Court of Judicalure at Patna in so far as they may be applicable to suits or proceedings under the above Rules:

Provided that contents of all applications filed under the Rules shall be verified by the applicant by appending a certificate that the same were true to the applicant's belief and knowledge.

(2) An application or petition under chapter X of the code of Criminal Procedure, 1973.(Act 2 of 1974) shall be presented before the Family Court and shall be dealt with, in the manner Provided by tht Chapter X aforesaid.

(3) The Service of notices and sumons issued by the Family Courts shall be served through Nazarat of Civil Court as per relevant Rules laid down by the High Court as also in the manner as laid down by Order V of the code of civil Procedure, 1908.

6. Terms and conditions of service of officers and Employees :-

(1) Such number and categories of officers and employees shall be provided to a Family Court, which are admissible to such a court of that level.

(2) The appointment of Officers and employees of Family Courts shall be generally by appointment in the District Civil Court as per applicable Rules or by deputation from District Civil Court.

(3) In case the District Judge is unable to appoint/depute any Officer or Employee to the Office of Family Courts, then the Principal judge/Judge of Family Court may appoint officer and employee on temporary/contract basis in accordance with manner of appointment provided in Bihar Civil Court Staff (Class III and IV) Rules, 1998, in consultation with the High Court.

(4) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the Officers and Employees of the Family Court shall be similar to the Officers and Employees working in the Civil Court.

7. Medical Expert :-

(i) The Family Court may secure services of Medical expert or any other expert in order to discharge its duty effectively.
(ii) Such medical expert or other expert shall be paid a consolidated sum of Rs. 250/- per day for the purpose of giving his expert opinion/evidence in Family Court. But Medical experts or other experts who are not local shall be paid a sum of Rs. 750/- per day and shall also be paid T.A. at the rate admissible to official or non-official witnesses, as the case may be, for appearing before the Sessions Judge, preferably on the same day or in any case within a month. The aforesaid fees shall be revisable from time to time and at least after five years.

8. Amicus curiae :-

(i) The Judge of Family Court, in appropriate cases may appoint any Advocate, having experience of not less than 7 years, as Amicus curiae for assisting the Court.

(ii) The Amicus curiae shall be entitled to such fee to be paid by State Government as admissible to the Additional Public Prosecutor working in Civil Court as per prevailing Rules governing such payment to an Additional Public Prosecutor.

9. Appointment of Counsellor and other persons :-

(1) The State Government shall in consultation with the High Court, determine and notify a Panel for specified district or area, of institutions, organizations and persons (preferably women where available) engaged or working in the field of social welfare and promoting welfare of the family to associate with or to assist the Family Court of each specified district or area. For such determination, names of suitable institutions, organizations and persons will be obtained from the Welfare Department of the State Government and also from concerned District Magistrate (s) who shall make recommendations in consuitation with the concerned District Judges and Principal Judges. The notified Panel may be revised or modified anytime by exclusion or inclusion of names by the State Government in consultation with the High Court which may, for this purpose, consider reports of the concerned Family Courts.

(2) No person shall be appointed as counsellor below the age 30 Years.

(3) The Court may appoint a Counsellor from the list of authorized persons notified under sub-rule (1).

(4) Such counsellor may, if permitted by the Court in a particular, suit or proceedings, assist the Court as Welfare expert in discharge of its functions imposed by the Act.

(5) The Court may assign any work to a Counsellor for assisting it in discharging its functions under the Act.

(6) A Counsellor or a person associated under sub-rule (3) may be paid a sum of Rs. 750/- per case only as honorarium by the State Government, apporpriate stage to be decided by the Principal Judge in his own wisdom but in any case before passing of the Judgment. Such honorarium shall be revisable from time to time and at least after every five years.

10. Duties and Functions of Counsellors :-

(i) The Counsellor shall assist the Court and advise the parties for settling their disputes, and he will do his best for reconciliation between the parties.

(ii) The Counsellor may visit the house of any of the parties and may interview their relatives, friends, acquainted persons or employees in connection with settlement of disputes between them.

(iii) No Counsellor shall visit the house of a lone female in connection with his duties without obtaining prior permission of the family Court.

(iv) Every information collected by Counsellors, every statement made before the Counsellors and every note or report prepared by Counsellors, shall be confidential and not to be disclosed to any person, except with the previous consent of both the parties to the suit or proceedings followed by the leave of the Family court.

(v) No Counsellor shall give evidence in any Court in respect of such information, statement, notes or report.

(vi) In any suit or proceeding, if required by the Family Court, the Counsellor may submit a report to it, in respect of environment of house. Relationship of spouses and their children, income and standard of living of the concerned family.

(vii) The Counsellor shall not accept any fee of expenses from any of the parties, nor shall he act or plead for any of the parties. He shall only assist the Family Court in settling or deciding the dispute in peaceful and amicable manner.

(viii) The Counsellor shall submit his report regarding his efforts of reconciliation made for peaceful and amicable settlement of

disputes between parties. The report shall be objective without blaming any of parties in case of failure of reconciliation. A copy of such report shall be given to the party on its request. Any party shall have right to make its submission on such report.

(ix) The Counsellor may advise, guide and assist the reconciled parties even after peaceful settlement arrived in between them.

By the order of the Governor of Bihar,

Principal Secretary to the Government.

Memo No-7/Astha-1-15-04/2010/G.A..3336..Patna, 15 Dated .25.3.11..

Copy forwarded to Superintendent, Govt, Press, Gulzarbag, Patna for publication in Extra ordinary of Govt. Gazette.

2. Kindly Send 1000 (one thousand) copy of this notification to the General Administration Department, Bihar, Patna at once.

Principal Secretary

Memo No-7/Astha-1-15-04/2010/G.A..3336..Patna, 15 Dated .25.3.11...

Copy forwarded to Accountent General,Bihar,Patna/ Registrar General, High Court, Patna/All Department/All Head of Department/Bihar public service commision, Patna/All District &Session Judges/All Additionl District & Session Judges/Secretery to chief Secretery, Patna/Mannager (I.T) General Admistration Department, Bihar, Patna for Information and necessary action.

Principal Secretary